न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०
अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
45/2021	21/06/2021	08/10/2025

1– रामनाथ पुत्र अमरा मृतक के कायम मुकामान जर्ये
1/1 छीतर पुत्र रामनाथ जाति बैरवा निवासी बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा
1/2 रामहेत पुत्र रामनाथ जाति बैरवा निवासी बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा
1/3 बादामबाई बैवा रामनाथ जाति बैरवा निवासी बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2– मोडूलाल पुत्र अमरा जाति बैरवा निवासी बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र गोपीलाल जाति बैरवा निवासी बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
3. शम्भूदयाल पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
4. बाबूलाल पुत्र गोपीलाल जाति बैरवा निवासी बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
5. राज० राज्य जयें तहसीलदार साहब पीपल्दा कार्यालय तहसील पीपल्या जिला कोटा राज०

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री श्याम बैरवा एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री एस.टी.एच. आब्दी एड0।

वाद अर्न्तगत धारा 183 आर. टी. एक्ट

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 की खाता संख्या नया 219 पुराना 200 की खसरा न. 292 रकबा 0.53 है० नहरी द्वितीय कृषि आराजी वाके माल ग्राम बिनायका पटवार क्षेत्र बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० में स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी वादीगण 1/1 ता 1/3 के पिता व पति तथा वादी कम 2 के खाते राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जिस पर वादीगण मृतक रामनाथ व मोडूलाल अपने पिता के जीवनकाल से ही शान्तिपूर्वक रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त वर्णित जिस पर वादीगण मृतक रामनाथ व मोडूलाल अपने पिता के कृषि आराजी मृतक रामनाथ व मोडूलाल के सयुंक्त खाते की कृषि आराजी है जिसमे मृतक रामनाथ व मोडूलाल का बराबर बराबर हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज है मृतक खातेदार रामनाथ कि दिनांक 22.5.2021 को मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान का राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद नहीं होने के कारण उसके वारिसान वादी कम 1/1 ता 1/3 वाद पत्र में वादीगण बनाया गया है। उक्त वर्णित कृषि आराजी को वादीगण मुनाफा काश्त पर देते हैं वादीगण ने वर्ष 2019–20 में उक्त वर्णित कृषि आराजी को प्रतिवादीगण के लिए मुनाफा काश्त पर दी थी मुनाफा काश्त का समय समाप्त होने के बाद वादीगण खाते की वर्णित आराजी पर हंकाई जुताई करने के लिए गये तो प्रतिवादीगण एक राय होकर वर्णित आराजी के मौके पर आ गये और वादीगण को हंकाई जुताई करने से मना कर दिया वादीगण ने कहा कि हमने आप के लिए केवल 1 वर्ष के लिए हमारे खाते की वर्णित

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

की मुनाफा काश्त पर दी है जिसका समय समाप्त हो गया है। लेकिन प्रतिवादीगण अपराधिक प्रवृति के व्यक्ति होने के कारण वादीगण की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वादीगण को मारने पर आमादा हो गये वादीगण सरल स्वभाव के व्यक्ति होने के कारण व जान का खतरा होने के कारण वहाँ से आ गये। दिनांक 21.5.2021 को प्रतिवादीगण, वादीगण के खाते की वर्णित कृषि आराजी को खुर्द बुर्द करने के उद्देश्य से कृषि भूमि मे मकान बनाने के उद्देश्य से नीव खोदकर पत्थरों से भरने लग गये वादीगण को पता चला तो वादीगण ने प्रतिवादीगण से मना किया तो प्रतिवादीगण, वादीगण को जान से मारने पर आमादा हो गये। जिसकी शिकायत वादीगण द्वारा थाना इटावा मे की गई उक्त शिकायत पर थाना इटावा ने राजस्व न्यायालय का प्रकरण बताते हुए और माननीय न्यायालय मे वाद दायर करने की हिदायत दी। दिनांक 21.5.2021 को प्रतिवादीगण द्वारा बिना अधिकार के वादीगण के खाते की वर्णित विवादित कृषि आराजी को खुर्द बुर्द करने व उसकी मूल प्रकृति मे फेर बदल करने व वादीगण द्वारा बार बार कहने पर भी अवैध कब्जा नहीं हटाने से वाद कारण दिनांक 21.5.2021 से लगातार उत्पन्न हो रहा है। वाद पत्र मे प्रतिवादी कम 5 तहसीलदार पीपल्दा को पक्षकार बनाया गया है जिसके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं मांगा गया है। वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री मय आदेश सादर की पारित फरमायी जावे किः—

अ— वाद पत्र में वर्णित ग्राम बिनायका तहसील पीपल्दा की वादीगण के खाते की कृषि आराजी खसरा 292 रकबा 0.53 है। नहरी द्वितीय पर से प्रतिवादीगण 1 ता 4 का अवैध कब्जा हटाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को मौके पर जाकर कब्जा संभलाया जावे।

ब— प्रतिवादी कम 1 ता 4 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जाये कि वादीगण के खाते की कृषि आराजी वाद पत्र में वर्णित खसरा न. 292 रकबा 0.53 है0 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा व्यवधान उत्पन्न नहीं करे और न ही ऐसा करते अपने प्रतिनिधि से करावे।

वादी की ओर से वाद श्री श्याम बैरवा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 की ओर से श्री एस0टी0एच0 आब्दी ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी कम 1 ता 4 की ओर से जवाब मय फर्द दस्तावेज पेश किया। जो निम्नानुसार हैः—

विशेष आपत्तियांः— प्रतिवादीगण मांगीलाल व बाबूलाल के पिता गोप्या उर्फ गोपीलाल को वाके माल मोजा बिनायका की पुराना खसरा नं. 519/270 की रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटन की गई तथा दखल व कब्जा प्रतिवादीगण के पिता को दिया गया तब से प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर काबिज चले आ रहे है। जिसे लगभग 50 वर्ष से अधिक समय हो गया है। उक्त आराजी का वादीगण की आराजी से कोई संबंध नहीं है। वादीगण ने यह वाद केवल प्रतिवादीगण की भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से पेश किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण का कभी भी खसरा नं. 519/270 वाके माल बिनायका पर कब्जा नही रहा ना ही उनके खाते की है तथा वाद पत्र में पेश खसरा नं. से प्रतिवादीगण की भूमि का मिलान नही होता है, मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड। एडवर्स पजेशन के आधार पर भी प्रतिवादीगण को विवादित आराजी पर मालिकाना हक हकूक प्राप्त है।

वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 02.09.2021 को मौका कमिशनर नियुक्त करने बाबत प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने कोई आपत्ति न होना जाहिर किया। दिनांक 20.06.2023 को जवाब सरकार प्राप्त हुआ। जवाब सरकार निम्नानुसार हैः— मुताबिक जमाबंदी ग्राम बिनायका सम्वत 2074—77 खाता सं0 2019 में ख0नं0 292 रकबा 0.53है0 किस्म नहरी द्वितीय वादीगण 1/1 ता 1/3 के पिता रामनाथ

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

पुत्र अमरा जाति बैरवा सा देह एवं वादी कम 2 मोडूलाल पुत्र अमरा जाति बैरवा के खाते हिस्सा बराबर में दर्ज रिकॉर्ड है। खातेदार रामनाथ पुत्र अमरा की मृत्यु हो चुकी है परन्तु वारिसान का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है। मुताबिक मौका वर्तमान में खसरा नम्बर 292 रकबा 0.53है0 पर प्रतिवादीगण 1 ता 3 मांगीलाल पुत्र गोपीलाल, ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल, शम्भूदयाल पुत्र मांगीलाल जातियान बैरवा निवासीगण विनायका का कब्जा काश्त है। प्रतिवादी कम 1 ता 4 सगे भाई है। मुताबिक मौका प्रतिवादीगण 1 ता 3 ख0नं0 292 में मकान बनाने हेतु 18*30=540 फुट क्षेत्रफल में पत्थरों की नीव भर रखी है। वादीगण द्वारा खाते की भूमि ख0नं0 292 रकबा 0.53है0 ग्राम विनायका से प्रतिवादीगण 1 ता 4 का अवैध कब्जा हटाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा दिलवाए जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

तनकीयात कायम की गई।

1. आया ग्राम विनायका की ख0नं0 292 रकबा 0.53है0, कृषि भूमि के वादीगण खातेदार होने से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।

   जिम्मे वादीगण

2. आया वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

   जिम्मे वादीगण

3. आया प्रतिवादीगण का 50 वर्षों से अधिक पुराना कब्जा होने से प्रतिवादीगण को एडवर्स पजेशन प्राप्त होने से वाद चलने योग्य नहीं है।

   जिम्मे प्रतिवादीगण

साक्ष्यवादी शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1 मोडूलाल, पी0डब्ल्यू0 2 छीतरलाल पेश किए। साक्ष्यवादी मोडूलाल ने अपने समर्थन में नकल जमाबंदी सं0 2034—37 ग्राम विनायका ख0नं0 519/270 प्रदर्श—पी 1, नकल जमाबंदी सं0 2074—77 ख0नं0 292 रकबा 0.53है0 प्रदर्श—पी 2है। जिरह की गई। साक्ष्य प्रतिवादी शपथ पत्र डी0डब्ल्यू0 1 शम्भूदयाल, डी0डब्ल्यू0 2 राजमल मीणा, डी0डब्ल्यू0 3 सांवला, डी0डब्ल्यू0 4 रामनाथ पेश किया। जिरह की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस सुनी गई। प्रतिवादी ने उपनिवेशन विभाग द्वारा 14.12.2018 की ख0नं0 519/270 रकबा 4.05है0 की खातेदार सनद की प्रति प्रस्तुत की है।

तनकी वाद विवाद्यक निम्नानुसार तय की गईः—

तनकी नं0 1 व 2 को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी ग्राम विनायका सं0 2034—37 ख0नं0 519/270 प्रदर्श—पी 1, नकल निर्णय 11.05.2017, नकल जमाबन्दी ग्राम विनायका 2074—71 मिलान क्षेत्रफल ग्राम विनायका ख0नं0 519/270 रकबा 4.05है0 से 292 रकबा 0.53 है0 पेश किए। जिसके अनुसार ग्राम विनायका के साबिक ख0नं0 519/270 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा वादी कम 1/1 ता 1/3 के पिता वादी कम 1 के स्वयं के खातेदारी में दर्ज थी जिसका हाल खसरा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नं0 292 रकबा 0.53है0, बना है जो कि वर्तमान में वादी कम 1/1 ता 1/3 के पिता रामनाथ एवं वादी कम 2 के स्वयं के नाम खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। एक सदभावी कृषक की खातेदारी जोत पर निर्वाध रूप से कृषि करना उसका अधिकार और यदि किसी खातेदारी भूमि पर खातेदार कृषक द्वारा कृषि करने पर कोई व्यक्ति व्यवधान उत्पन्न करता है तो खातेदार को अतिचारी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा/बेदखली का अधिकार प्राप्त है। अतः तनकी नं0 1 व 2 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

तनकी नं0 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल, फोटोप्रति पट्टा पेश की गई एवं शम्भूदयाल द्वारा जवाब दावा, शपथ पत्र प्रतिवादी डी0डब्ल्यू 1 पेश किया। जिसमें कथन किया कि विवादित पुराना आराजी ख0नं0 519/270 रकबा 0.65है0, वाके माल विनायका प्रतिवादीगण के पिता गोप्या का राजस्थान उपनिवेशन द्वारा आवंटित कर दखल कब्जा किया गया तब से ही कब्जे काश्त चली आ रही है। प्रतिवादीगण का आवटन आदेश प्रदर्श पी–1 है जिसके आधार पर कब्जा प्रतिवादीगण का है। शपथ पत्र प्रतिवादी गवाह राजमल डी0डब्ल्यू0 2, शपथ पत्र गवाह सांवला डी0डब्ल्यू0 3, शपथ पत्र गवाह रामनाथ डी0डब्ल्यू पेश किए उक्त शपथकर्ता गवाहान ने भी ग्राम विनायका के ख0नं0 519/270 रकबा सवाचार बीघा पर प्रतिवादीगण का कब्जा बताया है। प्रतिवादीगण अपने दादा गोप्या पुत्र माधो के नाम ग्राम विनायका के ख0नं0 519/270 रकबा 4.05 बिस्वा खातेदारी अधिकार का पट्टा सनद की प्रतिलिपि पेश की गई। परन्तु उक्त सनद का वर्तमान राजस्व अभिलेख पेश नहीं किया। जिससे यह सिद्ध नहीं हो पाया कि आया विवादित स्थल पर प्रतिवादीगण का विधिक रूप से कब्जा काश्त है। वादी, वादी के गवाह, जवाब सरकार, एवं प्रतिवादीगणों के गवाहों ने साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्रों से यह प्रकट है कि ग्राम विनायका के ख0नं0 292 रकबा 0.53है0 पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है एवं जिसका प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः तनकी नं0 3 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

अतः ग्राम विनायका के ख0नं0 292 रकबा 0.53है0 से प्रतिवादीगण मांगीलाल, बाबूलाल पुत्रान गोपीलाल, ओमप्रकाश, शम्भूदयाल पुत्रान मांगीलाल जातियान बैरवा नि0 विनायका को अतिचारी घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम विनायका की आराजी ख0नं0 292 रकबा 0.53है0 से प्रतिवादीगण मांगीलाल, बाबूलाल पुत्रान गोपीलाल, ओमप्रकाश, शम्भूदयाल पुत्रान मांगीलाल जातियान बैरवा नि0 विनायका को कब्जा हटाकर मौके से बेदखल कर ख0नं0 292 रकबा 0.53है0 का कब्जा वादीगण छीतर, रामहेत पुत्रान रामनाथ, बादामबाई पत्नि स्व0 रामनाथ एवं मोडूलाल पुत्र अमरा जातियान बैरवा निवासीगण विनायका को कब्जा संभलाया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
फास्ट ट्रेक इटावा

सहायक कलेक्टर
इकाई जिला कोटा (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिकी मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या | तारीख दायरा | तारीख फैसला
45/2021 | 21/06/2021 | 08/10/2025

1– रामनाथ पुत्र अमरा मृतक के कायम मुकामान जयें

1/1 छीतर पुत्र रामनाथ जाति बैरवा निवासी बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा

1/2 रामहेत पुत्र रामनाथ जाति बैरवा निवासी बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा

1/3 बादामबाई बैवा रामनाथ जाति बैरवा निवासी बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा

2– मोडूलाल पुत्र अमरा जाति बैरवा निवासी बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र गोपीलाल जाति बैरवा निवासी बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
3. शम्भूदयाल पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
4. बाबूलाल पुत्र गोपीलाल जाति बैरवा निवासी बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
5. राज० राज्य जयें तहसीलदार साहब पीपल्दा कार्यालय तहसील पीपल्या जिला कोटा राज०

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता:– श्री श्याम बैरवा एड०।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता:– श्री एस.टी.एच. आब्दी एड०।

वाद अर्न्तगत धारा 183 आर. टी. एक्ट

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री श्याम बैरवा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम विनायका के ख0नं0 292 रकबा 0.53है0 से प्रतिवादीगण मांगीलाल, बाबूलाल पुत्रान गोपीलाल, ओमप्रकाश, शम्भूदयाल पुत्रान मांगीलाल जातियान बैरवा नि0 विनायका को अतिचारी घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम विनायका की आराजी ख0नं0 292 रकबा 0.53है0 से प्रतिवादीगण मांगीलाल, बाबूलाल पुत्रान गोपीलाल, ओमप्रकाश, शम्भूदयाल पुत्रान मांगीलाल जातियान बैरवा नि0 विनायका को कब्जा हटाकर मौके से बेदखल कर ख0नं0 292 रकबा 0.53है0 का कब्जा वादीगण छीतर, रामहेत पुत्रान रामनाथ, बादामबाई पत्नि स्व0 रामनाथ एवं मोडूलाल पुत्र अमरा जातियान बैरवा निवासीगण विनायका को कब्जा संभलाया जावे। तद्नुसार डिकी जारी की जाती है।

डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 08.10.2025 को जारी किया गया।
निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलेक्टर
इटावा, जिला कोटा

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)